

29.11.19 पञ्जावली केस। आधी रंव बकीर आधी अनु।
प्राथम्य पर का मूल दावा आज रितांकु से
किसम बापिरी कडम पैरकी से श्वारीज
किया पा उका हो अतः उमल आर्थिक पर
212 पर अत से चलाये रखने का कोई
अधिकृत नहीं रहने से इसी हल पर
श्वारीज किया पाता है पञ्जावली फेल्लशुगत
होकर नुम्बल से कम की जाकर दाखिल
इफल एग ~~किया~~

सहायक सचिव/प्रशासक
सचिव/अधीकारी-विद्यार्थक